न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. जुगलकिशोर पुत्र रामनारायण		1. तारादेवी पुत्री रामनारायण
2. निर्मल पुत्र रामनारायण		2. पुष्पादेवी पुत्री रामनारायण
3. प्रदीप पुत्र परमानन्द		3. उर्मिलादेवी पुत्री रामनारायाण
4. प्रवीण पुत्र परमानन्द		4. उषादेवी पुत्री परमानन्द
5. राजकुमार पुत्र गोपीलाल		5. निशादेवी पुत्री परमानन्द
6. अशोककुमार पुत्र गोपीलाल		6. सन्धयादेवी पुत्री परमानन्द
7. अरूण पुत्र सांवरमल		7. कमलादेवी पुत्री गोपीलाल
8. अपील पुत्र सांवरमल		8. परमेश्वरी पुत्री गोपीलाल
9. अमील पुत्र सांवरमल		9. सीतादेवी पुत्री गोपीलाल
10. कमलकुमार पुत्र राधाकिशन		10. लीलादेवी पुत्री गोपीलाल
11. विमलकुमार पुत्र राधाकिशन		11. इन्दुदेवी पुत्री गोपीलाल
12. ललितकुमार पुत्र राधाकिशन		12. मंजूदेवी पुत्री सांवरमल
13. सुरेशकुमार पुत्र राधाकिशन		13. गीतादेवी पुत्री मदनलाल
14. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल		14. विमलादेवी पुत्री मदनलाल
15. श्यामसुन्दर पुत्र मदनलाल		15. सन्तोषदेवी पुत्री मदनलाल
16. दिलीपकुमार पुत्र मदनलाल		महाजन सा. नांवा
महाजन सा. नांवा		16. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा।

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा वकील वादीगण

श्री अमरचन्द पंवार वकील प्रतिवादी 1 से 15

मुकदमां नम्बर :– 48/2017

निर्णय दिनांक :– 29.5.17

निर्णय

वादीगण द्वार प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैंकि ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 1429, 1430, 1431, कुल रकबा 2.52 हैक्टयर भूमि के वादीगण व प्रतिवादी 1 से 15 खातेदार काश्तकार हैं उक्त आराजीयत में 1/4 हिस्सा वादी 1 से 4 व प्रतिवादी 1 से 6 के पिता दादा स्व. रामनारायण जी का व 1/4 हिस्सा वादी 5 से 9 के दादा पिता गोपीलाल जी का व 1/4 हिस्सा वादी 10 से 13 के पिता राधाकिशन जी का तथा 1/4 हिस्सा वादीगण 14 से 16 व प्रतिवादी 13 से 15 के पिता मदनलालके कब्जे काश्त सुदा खातेदार की भूमि स्थित हैं उक्त भूमि रामनारायण, गोपीलाल, राधाकिशन व मदनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं जिन सभी का स्वर्गवास हो चुका हैं, रामनारायण जी के स्वर्गवास होने पर उनके हक हिस्से में 1/4 हिस्से की भूमि पर 1/3 हिस्से पर वादी 1, 1/3 हिस्से पर वादी 2 व

1/3 हिस्से की भूमि वादी 3 से 4 काबिज काश्त हैं स्व. गोपीलाल के हक हिस्से की 1/4 भूमि पर 1/3 हिस्से में वादी 5 तथा 1/3 हिस्से की भमि पर वादी 6 व शेष 1/3 हिस्से की भूमि पर वादी 7 से 9 काबिज काश्त हैं स्व. राधाकिशन जी के हिस्से में 1/4 हिस्से की भूमि पर वादी 10 से 13 काबिज काश्त हैं तथा स्व. मदनलाल जी के हक हिस्से की 1/4 भूमि में 1/3 हिस्से पर वादी 14, 1/3 हिस्से पर वादी 15 व 1/3 हिस्सा पर वादी 16 काबिज काश्त हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड वर्तमान में पूर्वजो के नाम ही दर्ज रिकार्ड हैं प्रतिवादी 1 से 15 उपरोक्त आराजीयत में कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं वादीगण के पिता व दादा का स्वर्गवास 9 सितम्बर 2005 से पूर्व हो चुका हैं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में उक्त दिनांक को अमेन्डमेन्ट कर लड़कियों को भी आने पिता की सम्पति में उत्तराधिकारी माना हैं लेकिन उससे पूर्व पिता की मृत्यु होने पर पिता की सम्पति में पुत्री का कोई अधिकार नहीं माना है। जिससे वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 1429, 1430, 1431, कुल रकबा 2.52 हैक्टयर भूमि में 1/12 हिस्से की अर्थात 0.21 हैक्टयर भूमि का वादी 1 को व 1/12 हिस्सा 0.21 हैक्टयर भूमि का वादी 2 को व 1/12 हिस्से का 0.21 हैक्टयर भूमि का वादी 3, 4 को तथा 1/12 हिस्से की भूमि वादी 5 को व 1/12 हिस्से की भूमि वादी 6 को व 1/12 हिस्सा वादी 7 से 9 को तथा 1/4 हिस्से की 0.63 हैक्टयर भूमि का वादी 10 से 13 को तथा 1/4 हिस्से की भूमि वादी 14 से 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किऐ जाने की इ...दुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1, 2 व 4 से 15 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुऐ इकबालिया जवाब पेश किया हैं प्रतिवादी 3 की आरे से वकील श्री अमरचन्द ने अन्डरटेंकिग दी हैं लेकिन वकालतनामा पेश नहीं किया हैं जिससे प्रतिवादी 3 स्वंय अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्य वादी में जुगलकिशोर राजकुमार, निर्मल, अरूण, कमल, ओमप्रकाश के शपथ पत्र पेश किये हैं ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2060–2070 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 1429, 1430, 1431 कुल रकबा 2.52 हैक्टयर भूमि रामनारायण, गोपीलाल, राधाकिशन , मदनलाल पि. छगनलाल जाति महाजन सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं, वादी ने वाद के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किऐ है जिसमें रामनारायण का स्वर्गवास दिनांक 07.03.2005 को व गोपीलाल का स्वर्गवास दिनांक 22.09.2000 को तथा राधाकिशन का स्वर्गवास दिनांक 26.11.1992 को एवं मदनलाल का स्वर्गवास दिनांक 19.04.1993 को हो चुका हैं, मृत्यु प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि सभी का स्वर्गवास दिनांक 09 सिम्बर 2005 से पूर्व हो चुका हैं वादीगण उक्त मृत खातेदारो के जाईन्दा पुत्र हैं तथा प्रतिवादीगण पुत्रियां हैं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधित नियमों के तहत किसी खातेदार का स्वर्गवास दिनांक 09 सितम्बर 2005 से पूर्व हो जाता हैं तो उसकी सम्पति में पुत्रियों को पुत्रों के बारबर का अधिकार नहीं है, उक्त नियम के तहत प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में अब कोई हक व अधिकार नहीं रहा हैं। प्रतिवादीगण 1, 2 व 4 से 15 स्वंय ने इकबालिया जवाब पेश किया हैं जिसमें उनके द्वारा अपने पिता की सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं अंकित किया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह साबित होता हैं कि ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 1429, 1430, 1431, कुल रकबा 2.52 हैक्टयर की विवादित आराजीयत वादीगण के दादा पिता के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही हैं जिन सभी का स्वर्गवास दिनांक 09 सितम्बर 2005 से पूर्व हो चुका हैं पिता की सम्पति में पुत्रियां प्रतिवादी 1 से 15 ने इकबालिया जवाब पेश कर स्वीकार किया हैं कि हमे इस विवादित आराजीयत में अब

उपखण्ड अधिकारी

कोई हक हिस्सा नहीं चाहते हैं वादीगण के नाम दर्ज की जाती हैं तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं बल्कि हमारी पूर्ण सहमति हैं। जिससे वादीगण का वाद साबित होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 1429, 1430, 1431, कुल रकबा 2.52 हैक्टयर भूमि में वादी संख्या 1 को 0.21 हैक्टयर भूमि का व 0.21 हैक्टयर भूमि का वादी संख्या 2 को , 0.21 हैक्टयर भूमि का वादी 3 , 4 को तथा 0.21 हैक्टयर भूमि का वादी 5 को व 0.21 हैक्टयर भूमि का वादी 6 को व 0.21 हैक्टयर भूमि का वादी 7 से 9 को तथा 0.63 हैक्टयर भूमि का वादी 10 से 13 को व 0.63 हैक्टयर भूमि का वादी 14 से 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तदनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.5.17 को न्यायालय में सुनाया गया।

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा